

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

प्रकरण संख्या - 70/19

तारीख 15-5-19

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 70/19 / 2019 पत्थरगढी बाबत् ।

01. कैलाशचन्द्र पिता लालुराम जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी छोटा नयागांव
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम


01. शंकरसिंह पिता प्रभुलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ कंला
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
02. ओमसिंह पिता प्रभुलाल जाति दरोगा उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ कंला
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)
03. शिव कुमार पिता रतनलाल जाति स्वर्णकार उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी बिजौलियाँ खुर्द
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा बिजौलियाँ कंला पटवार हल्का बिजौलियाँ कंला तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 564 पर अंकित आराजी संख्या 1642/608, 1640/608, 1764/606, 1763/606 कुल किता 4 रकबा 1-18 बीघा भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ कंला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500/- तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ